# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–94 / 2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा<br>चांदपोल, जोधपुर (राज.)<br>जरिये प्राधिकृत अधिकारी | | 1. मैसर्स श्री विनायक लाईम एण्ड केमिकल,<br>श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह<br>2. श्री गणपत सिह पुत्र श्री प्यार सिंह<br>3. श्री बालसिंह पुत्र श्री अमर सिंह<br>समस्त निवासीगण – ग्राम पोस्ट बीटन,<br>तहसील–गेड़ता, जिला–नागौर (राज.) |

आदेश दिनांकः– 10-09-2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी / ऋणी को क्रेडिट लोन खाते में 30,00,000 / –(अक्षरे तीस लाख रुपये मात्र) रूपये टर्म लोन खाते में 57,00,000 / –(अक्षरे सतावन लाख रुपये मात्र) इस प्रकार कुल रुपये 87,00,000 / –(अक्षरे सतयासी लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 21.10.2015 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण / ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति– राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह की खसरा नं. 1624, ग्राम पोस्ट– बिटन, तहसील–मेडता, जिला–नागौर (राज.) स्थित औधोगिक सम्पति (बैक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर) तथा हाईपोथिकेशन ऑफ बोरोवर स्टॉक, बोथ प्रेजन्ट एण्ड फ्युचर, ऑल स्टॉक ऑफ रॉ मैटेरियलस, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रेजन्ट एण्ड फ्युचर बुक्स डेब्टस, आउट स्टेडिंग, रिसिवेबल, सिक्रटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, स्पेयर्स, टूलस, एसेसिरिज एण्ड अदर मुवेबल फनिर्चिर, फिक्चर एण्ड फिटिंग एक्युपमेन्ट आदि जिसके पूर्व में मदन सिंह व गदर सिंह का फार्म, पश्चिम में श्री शिव सिंह व हेमन्त सिंह का फार्म, उत्तर में मगरा एवं दक्षिण में खसरा नं. 1624 का शेष हिस्सा है, जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण / ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 29.05.2017 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी / ऋणी के ऋण खाते में रूपये 87,11,891.75 / –(अक्षरे सतासी लाख इग्यारह हजार आठ सौ इकरानवे रुपये पचत्तर पैसे मात्र) दिनांक 30.06.2017 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी / अप्रार्थी को दिनांक 21.07.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि रूपये 87,11,891.75 / –(अक्षरे सतासी लाख इग्यारह हजार आठ सौ इकरानवे रुपये पचत्तर पैसे मात्र) दिनांक 30.06.2017 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी / अप्रार्थीगण ने उपरोक्त

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी / जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह की खसरा नं. 1624, ग्राम पोस्ट– बिटन, तहसील–मेडता, जिला–नागौर (राज.) स्थित औधोगिक सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर) तथा हाईपोथिकेशन ऑफ बोरोवर स्टॉक, बोथ प्रेजन्ट एण्ड फ्युचर, ऑल स्टॉक ऑफ रॉ मैटेरियलस, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रेजन्ट एण्ड फ्युचर बुक्स डेब्टस, आउट स्टेडिंग, रिसिवेबल, सिक्रटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, स्पेयर्स, टूलस, एसेसिरिज एण्ड अदर मुवेबल फनिर्चिर, फिक्चर एण्ड फिटिंग एक्युपमेन्ट आदि जिसके पूर्व में मदन सिंह व गदर सिंह का फार्म, पश्चिम में श्री शिव सिंह व हेमन्त सिंह का फार्म, उत्तर में मगरा एवं दक्षिण में खसरा नं. 1624 का शेष हिस्सा है,** जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी / अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी / अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से **क्रेडिट लोन खाते में 30,00,000 / –(अक्षरे तीस लाख रुपये मात्र) रूपये टर्म लोन खाते में 57,00,000 / –(अक्षरे सतावन लाख रुपये मात्र) इस प्रकार कुल रुपये 87,00,000 / –(अक्षरे सतयासी लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 21.10.2015** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी / ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे प्रति– राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह की खसरा नं. 1624, ग्राम पोस्ट– बिटन, तहसील–मेडता,

नागौर

जिला–नागौर (राज.) स्थित औधोगिक सम्पति (बैक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 3200 वर्ग गीटर) तथा हाईपोथिकेशन ऑफ बोरोवर स्टॉक, बोथ प्रेजन्ट एण्ड फ्युचर, ऑल स्टॉक ऑफ रॉ मैटेरियलस, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रेजन्ट एण्ड फ्युचर बुक्स डेब्टस, आउट स्टेडिंग, रिसिवेबल, सिक्रटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, स्पेयर्स, टूलस, एसेसिरिज एण्ड अदर मुवेबल फर्निचिर, फिक्चर एण्ड फिटिंग एक्युपमेन्ट आदि जिसके पूर्व में मदन सिंह व गदर सिंह का फार्म, पश्चिम में श्री शिव सिंह व हेमन्त सिंह का फार्म, उत्तर में मगरा एवं दक्षिण में खसरा नं. 1624 का शेष हिस्सा है, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम )
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर